# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2014 R 3568-I/14

रामदास [redacted] पुत्र श्री प्यारे लाल साहू, निवासी–ग्राम पाठा, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.) ——आवेदक

**विरूद्ध**

रामप्यारी पत्नी श्री भगवानदास काछी पुत्री सरजू काछी, निवासी–ग्राम पाठा, तहसील अजयगढ़, जिला पन्ना (म.प्र.)

———अनावेदक

**न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला पन्ना (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अ–74/नक्शा सुधार 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 26/08/2014 के विरूद्ध म. प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

**माननीय महोदय,**

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, विद्वान अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, विद्वान अधिनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण को समझने में त्रुटि की गई है। पूर्व का प्रकरण संहिता की धारा 250 के अधीन है, जिसके विरूद्ध माननीय इस न्यायालय के समक्ष आवेदन का पुनरीक्षण प्र.क्र. 1761–दो/2012 वर्तमान में लंबित है। यह प्रकरण धारा 107 के अधीन नक्शा सुधार/बंदोवस्त त्रुटि सुधार का है। इस कारण पूर्व के धारा 50

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

**प्रकरण क्रमांक- निग.-3568-एक/2014** जिला- पन्ना

**रामदास साहू विरूद्ध रामप्यारी**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 09 -01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री विनोद भार्गव उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला-पन्ना के प्रकरण क्रमांक 31/अ-74/नक्शा सुधार/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 26-08-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-10-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br>4. अपर कलेक्टर, जिला-पन्ना के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर संभागीय आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । | |

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य